131

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/ 14380/1374 **दिनांकः–** 30/10/13

Addl. Secy (7)

नगर विकास एवं आवास विभाग
– 6 NOV 2013

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

D.S (H)
14.11.13

महाशय,

नगर निगम आरा के वर्ष 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 545/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

6518(S)
7/11/13

5/0-7
14/11/13

30/10
193
12/11/13

नगर निगम आरा
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या–545/12–13
(अवधि– 2011–12)

1. प्रस्तावना

नगर निगम, आरा के वित्तीय वर्ष–2011–12 के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (ले0प0), सामाजिक प्रक्षेत्र–I बिहार, पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 21.11.2012 से 15.12.2012 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासनः–

	अध्यक्ष का नाम	अवधि
(i)	श्री सुनील कुमार	01.04.2011 से 31.03.2012 तक।

	उपाध्यक्ष का नाम	अवधि
(i)	श्री बसंत सिंह	01.04.2011 से 31.03.2012 तक।

	कार्यपालक पदाधिकारी,	अवधि
(i)	श्री अरूण कुमार	01.04.2011 से 6.7.2011 (पूर्वा0)
(ii)	श्री वीरेन्द्र कुमार	06.07.2011 (अप0) से 31.03.2012
	मुख्य अभियंता	
(i)	श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह	01.04.2011 से 31.3.2012

3. लेखा परीक्षा का क्षेत्र

अंकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नही किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

4. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का स्पष्ट प्रावधान है तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 1928 (नियम 20,64 एवं 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जाँच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथव अन्य जिम्मेवार अधिकारी, जिसे प्राधिकृत किया जाए, के द्वारा किया जायेगा। इस तरह की जाँच की व्यवस्था, उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की जाती है।

अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया कि इस तरह की जाँच की व्यवस्था नगर निगम प्राधिकार द्वारा नही गई, जिसके कारण अभिलेखों के संधारण में अनियमितता पायी गई, जिनका उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

5. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्त्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मात्र प्रतिवेदन सं. 259/2011–12 की कंडिकाओं पर समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। परंतु आवश्यक दस्तावेज/साक्ष्यगत टिप्पणी नहीं किया गया। अनुपालन के अभाव में लेखापरीक्षा का प्रयोजन ही निष्फल होता है।

अतः नगर निगम के पदाधिकारियों, सशक्त स्थायी समिति एवं जिला लेखा समिति का ध्यानाकर्षण, लेखापरीक्षा की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु कारगर कदम उठाने की ओर किया जाता है।

6. लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

क.सं.	विवरणी	राशि (₹)	कंडिका सं0
1	दूकानो के आवंटन में अनियमितताएँ एवं किराया वृद्धि नहीं करने के कारण राजस्व की हानि	129927	18
2	सैरातों की बंदोबस्ती राशि वसूल नहीं	11.34 लाख	22
3	बिल्डिग बायॉलाज के विरूद्व नक्शा निर्गत किया जाना		25
4	विलम्ब से क्रियान्वित योजना में क्षतिपूर्ति राशि वसूल नहीं	6.11 लाख	24
5	रैम्की गैर सरकारी संगठनों को अनियमित भुगतान		29
6	असमायोजित अगिम स्थापना मद	2369381	31

7. **अधिदृश्य (आय–व्यय)**

आरा नगर निगम सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के स्रोत से प्राप्त आय से वित्तपोषित होती है। वर्ष 2011–12 से संबंधित आय–व्यय विवरणी का सार इस प्रकार है:–

प्रारम्भिक शेष	197548848
वर्ष की कुल प्राप्ति	141310296
कुल प्राप्ति राशि	**338859144**
योजना मे व्यय	76623978
स्थापना व अन्य मद में व्यय	85432150
कुल व्यय	**162056128**
अन्त शेष	176803016

मदवार विवरणी परिशिष्ट–III पर

8. **अंतशेष:**

विभिन्न रोकड़ पंजी एवं संबंधित बैंक पास बुक का दिनांक 31.03.2012 तक का अन्तशेष का विश्लेषण निम्न प्रकार है:–

क्रमा0	रोकड़बही का नाम	रोकड़पंजी के अंतशेष (31.03.2012)	पासबुक का अंतशेष (31.03.2012)	अन्तर	बैंक का नाम खाता सं0
1	2	3	4	5	6
1	लेखापाल रोकड़बही	38626515	40369059	1742544	कोषागार पासबुक
2	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	15134235	19386842	4252607	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स खाता सं0 12162151007132
3	13वीं वित्त आयोग	26798678	अप्रस्तुत		
4	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	5718103	5748103	30000	ऐक्सिस बैंक खाता सं0

					911010021348910
5	पथ निर्माण मद	24177711	अप्रस्तुत		
6	पोखर घाट	31396246	अप्रस्तुत		
7	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	34933978	अप्रस्तुत		
8	जलवाही शौचालय (ILCS)	17550	अप्रस्तुत		

(विवरणी परिशिष्ट III (क) पर)

अतः रोकड़बही एवं पासबुक के अंतर को समाधानित किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

रोकड बही की त्रुटियॉं–

लेखापाल रोकड़बही

➢ चेक सं. 983847/19.5.2011 राशि 1816660/– तथा 983848/19.5.11 राशि 1816660 निर्गत किए गये पर डिसबर्स नहीं कराये गये ।इन राशियों की पुनः प्रविष्टि कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाये।

➢ निगम के स्वयं के स्रोतो से प्राप्त आय को सर्वप्रथम एक्सिस बैक लि0 आरा में जमा किया जाता है। फिर उसे माह के पश्चात चालान के माध्यम से कोषागार में जमा किया जाता है। एक्सिस बैक लि0 के पासबुक एवं रोकडपाल द्वारा संधारित पृथक रोकड बही के मिलान के क्रम में पाया गया कि निम्न तिथियों को ब्याज प्राप्त हुआ परन्तु उसे लेखापाल रोकड बही में दिखाया नहीं गया। विवरणी इस प्रकार है:–

1.	4.7.2011	13616.00
2.	3.10.2011	53889.00
3.	31.12.2011	48255.00
4.	31.3.2012	55725.00
कुल		**171485**

उक्त राशियों की प्रविष्टि लेखापाल रोकडबही में कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाये।

➢ **लेखापाल रोकड़बही में प्रविष्टि नहीं**

रोकडपाल रोकड़ बही एवं लेखापाल रोकड़ बही के मिलान के क्रम में पाया गया कि स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त कुल राशियों की प्रविष्टि रोकडपाल रोकड़बही में नहीं किया गया था। विवरणी निम्न प्रकार है:–

1	31.10.2011	92546.00
2.	3.11.2011	47657.00

3.	5.11.2011	30995.00
4.	22.2.2012	601500.00
5.	23.2.2012	76610.00
	कुल	**849308.00**

इसी कम में यह भी पाया गया कि दिनांक 9.1.2012 को राशि 200.00 कम जमा किया गया था। विवरणी निम्न प्रकार है:–

दिनांक 9.1.2012 को रोकडपाल रोकडबही की राशि 151787.00 को लेखापाल रोकडबही में मात्र ₹ 151587.00 अर्थात 200 रुपये कम जमा किया गया था।

अतः कम जमा की राशि नगर निगमकोष में जमा किया जाए।

➢ बचत खाता में प्राप्त ब्याज की राशि की प्रविष्टि रोकडपंजी में नहीं की गई थी जबकि सरकार द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश के अनुसार ब्याज की राशि भी अनुदान का हिस्सा है एवं दोनों की सम्मिलित राशि से योजना लेनी चाहिए थी, जबकि आरा नगर निगम द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।

13वी वित आयोग

राशि का अवरोधन

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न रोकड़ बही, लेजर इत्यादि की जॉच में यह पाया गया कि विभिन्न मदों में राशि खर्च नहीं की गयी।

(क) तेरहवीं वित्त आयोग

1	प्रारम्भिक शेष (31.03.11)	6943270.00
2	प्राप्ति (1.04.11)	27058797.00
3	कुल	34002067.00
4	व्यय	7181592.00
5	अंतशेष	26820475.00

(ख) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

1	प्रारम्भिक शेष (31.03.11)	अनुपलब्ध
2	प्राप्ति (1.04.11)	34933978.00
3	कुल	34933978.00

4	व्यय	शून्य
5	अंतशेष	34933978.00

(1) उपरोक्त विवरणी से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि तेरहवी वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि में से 2011–12 में सिर्फ 0.88% ही राशि खर्च की गयी। शेष राशि खाते में बेकार पड़ी रही।

➢ 13वें वित आयोग की मार्गदर्शिका के अनसुार ठोस अपशिष्ट मद, जलापूति मद, प्रकाश मद एवं रेन बसेरा पर प्राथमिकता के तौर पर व्यय करने का प्रावधान है। परन्तु आरा नगर निगम में मार्च 2012 तक राशि 268.20 लाख रूपये अवरूद्ध कर विकास कार्य को अवरोधित कर निर्धारित मानक की पूर्ति नहीं किया गया था। प्रस्तुत रोकड़ बही के अनुसार व्यय का ऑकड़ा निम्न प्रकार हैः–

1. ठोस अपशिष्ट मद : 14.30 प्रतिशत
2. जलापूर्ति मद : शून्य
3. प्रकाश मद : 11.98 प्रतिशत
4. रेन बसेरा : 0.27 प्रतिशत

अतः 13वें वित्त आयोग की मार्ग दर्शिका के अनुसार निर्धारित प्रयोजन के लिए व्यय सुनिश्चित करायी जाए।

एस0 जी0 एस0 आर0 वाईः–

मार्च 2012 तक बचत खाता में राशि 57.18 लाख रूपया अवशेष था। इतनी बडी राशि को खर्च नहीं करने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। इसे अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाए।

➢ अनियमित रूप से यूनियन बैंक के चेक सं.192433/20.4.2011 राशि 5537447/– को एक्सिस बैंक के खाता सं.21348910/ में हस्तांतरित किया गया था। जबकि एक्सिस बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है फिर भी सरकारी निदेशों की अवहेलना कर सरकारी अनुदान का विनिमय किया जा रहा है। अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया।

(2) चतुर्थ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि 2011–12 में खर्च नहीं की जा सकी। पूरी राशि खाते में बेकार पड़ी रही। राशि अवरूद्व रखने का कारण अंकेक्षण समाप्ति तक अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः चतुर्थ वित्त आयोग की मार्गदर्शिका के अनुसार निर्धारित प्रयोजन के लिए व्यय सुनिश्चित करायी जाए।

9. सरकारी अनुदान

लेखापाल रोकड़बही एवं रोकडपाल आवंटन पंजी के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2011–12 में आरा नगर निगम को अनुदान मद में निम्नलिखित राशियॉ प्राप्त हुई।

क्र0सं0	मद विवरणी	पत्र क्रमांक एव तिथि	राशि
1	13वॉ वित्त आयोग	UDD/2639/17.5.2011	7800000 21797 ब्याज
2	–तथैव–	UDD/21/4.8.2011	8900000
3	–तथैव–	UDD/23.08.2011	700000
4	कबीर अंत्येष्टि योजना	DM/366/14.6.2011	196500
5	–तथैव–	DM/652/22.11.2011	137000
6	स्टाम्प ड्यूटी	Asstt. Reg/377/10.7.2011	4075589
7	–तथैव–	Asstt.Reg/3500/18.11.2011	5748933
8	वार्ड पार्षद भत्ता	UDD/44/25.1.2012	273000
9	जनगणना	DM/01J/14.3.2012	2524300
10	तेरहवॉ वित्त आयोग	UDD/52/13.3.2012	9637000
11	चतुर्थ राज्य वि0आ0	UDD/52 /19.3.2012	22080820
12	चतुर्थ राज्य वि0आ0	UDD/19.3.2012	10000000
13	–तथैव–	UDD/19.03.12	2853158
14	कबीर अंत्येष्टि यो0	DM/10/24.03.2012	024500
15	कबीर अंत्येष्टि यो0	DD-PNB/Patna/421383/ 03.01.2012	40000
16	जलवाही शौचालय (ILCS)	DD/PNB/Patna/020986/16.6.11	100000
17	जलवाही शौचालय (ILCS)	UDD/232/18-3-2011	892125

(123

लेखापरीक्षा आपत्ति

- प्राप्त सरकारी अनुदान मदों का उपयोगिता प्रमाण पत्र. अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। जिससे व्यय के वास्तविक प्रयोजन एवं समायोजन ज्ञात किया जाना अपेक्षित रहा।
- अनुदान पंजी का संधारण निर्दिष्ट प्रफॉर्मा के आलोक में नहीं किया गया था।

  अतः अनुदान पंजी के संधारण समुचित ढंग सें संधारित किया जाए एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की वास्तविक स्थिति से सामाजिक प्रक्षेत्र–ा बिहार, पटना को अवगत करवाया जाए।

10. वार्षिक लेखा

वर्ष–2011–12 के लिए मद्वार प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शानेवाला वार्षिक लेखा, मासिक, त्रैमासिक प्राप्तियों एवं व्ययों के आँकड़े अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। वार्षिक लेखा तैयार नही किये जाने के कारणों को स्पष्ट नही किया गया।

अतः वार्षिक लेखा तैयार कर आवश्यक जाँच हेतु अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

11. बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के तहत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष का बजट तैयार किया जायगा जिसमें विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन प्राप्त और उपगत किये जाने वाले नगरपालिका के आय–व्यय को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 84 के तहत नगरपालिका, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो, पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी साथ ही नगर निगम के मामले में राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा जिसे वह परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख को नगरपालिका को लौटा दिया जायगा।

परंतु आरा नगर निगम द्वारा बजट से संबंधित संचिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अवलोकित आय–व्यय की तुलना वर्तमान प्राप्ति एवं व्यय के साथ किया जाना संभव नहीं था।

12. लेखा समिति

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 98 के अन्तर्गत लेखा समिति के गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन तथा इसमें निर्मित नियमों तथा व्यवस्थापना के अनुसार लेखा समिति का दायित्व निम्नलिखित है:–

(क) नगरपालिका द्वारा अपने व्यय के लिए प्राप्त धन राशि के विनियोजन को दर्शाते हुए नगरपालिका की लेखा की जाँच करना तथा नगरपालिका की वार्षिक वित्तीय लेखा का परीक्षण करना।

(ख) धारा–94 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत नगरपालिका के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परीक्षण एवं जाँच करना और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना लेखा में विनिर्दिष्ट धनराशि जो संवितरित की गई थी तथा जिन–जिन कार्यो अथवा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराया गया था, उनके अनुरूप उनका व्यय के लिए उस व्यय के नियंत्रण पदाधिकारी का अनुमति प्राप्त किया जाय। कटिहार नगर निगम के अन्तर्गत लेखा समिति का गठन नही किया गया था। अतः अधिनियम की धारा–98 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. भवन कर का अधिरोपण नही होना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–127 में यह प्रावधान किया गया है कि नगर निकाय राज्य सरकार की स्वीकृति से नगरपालिका क्षेत्र में करों तथा शुल्कों को अधिरोपित करेंगी। लेकिन नगर निगम द्वारा वर्षो से निर्धारित करो का पुनरीक्षण नही किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत आँकड़ो के अनुसार "भवन कर" के मांग एवं वसूली की स्थिति निम्न प्रकार है:–

(i) होल्डिंग का पुनरीक्षण एवं सड़कों का वर्गीकरण नही किया जानाः–

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–127 (13) के अनुसार नगरपालिका हरेक पाँच वर्ष में होल्डिगों के वार्षिक मुल्य का उर्ध्वगामी (बढ़ते हुए क्रम में) पुनरीक्षण एवं होल्डिगों के सड़कों का पुर्नवर्गीकरण करेगी।

परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार नगर निकाय द्वारा वर्ष 1997 में होल्डिग का निर्धारण/पुनरीक्षण किया गया था। परन्तु 14 वर्ष बीतने के बावजुद नगर निकाय द्वारा होल्डिगों के वार्षिक मुल्य का पुनरीक्षण एवं होल्डिगों के सड़कों का पुनर्वर्गीकण नही किया गया था।

होल्डिगों के वार्षिक मूल्यों का पुनरीक्षण एवं होल्डिगों के सड़कों का पुनर्वर्गीकण नही किये जाने के कारण नगर निकाय को प्रतिवर्ष राजस्व की हानि हो रही है। अतः पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक कदम उठाए

(ii) सरकारी/भवनों से बकाया करो की वसूली नही (₹471.28 लाख)

मकान कर से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया था। अतः मॉग एवं वसूली की सही स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती। नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी गयी मॉग एवं वसूली विवरणी के अनुसार 31.3.2012 को कुल बकाया गृह कर राशि ₹36000956 थी तथा सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर बकाया करों की वसूली लम्बे समय से नहीं किया जा रहा है जिसके कारण लम्बित करों की कुल राशि ₹11126866/– थी।

(12)

अतः बकाया करों की वसूली कर निगम कोष में जमा करवाया जाए तथा जमा की वास्तविक स्थिति से इस कार्यालय को साक्ष्यगत दस्तावेज के साथ अवगत करवाया जाए।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट IV पर संलग्न)

14 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नही–₹40.56 लाख

शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस सरकार के राजस्व का हिस्सा है। निगम द्वारा गृह कर के आधी राशि को शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस के रूप में होल्डिंग धारकों से ली जाती है। नियमानुसार निगम वसूली चार्ज के रूप में 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि को सरकार से संबंधित शीर्ष में जमा करना था। आरा नगर निगम द्वारा ऐसा नहीं किया गया। विवरणी इस प्रकार है:–

क.सं.	मद	वर्ष 2011–12 में वसूली गई राशि	10 प्रतिशत राशि वसूली चार्ज के रूप में	शेष राशि जो सरकर के संबंधित शीर्षों में जमा करना था।
1	शिक्षा सेस	2253206.37	225320.63	2027885.74
2	स्वास्थ्य सेस	2253206.37	225320.63	2027885.74
	कुल			**4055771.48**

अतः राशि 4055771.48 को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर जमा की वास्तविक स्थिति से स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा/सामाजिक प्रक्षेत्र–I को अवगत करवाया जाए।

15. श्रम उपकर (Cess) की कटौती नहीं ₹ 6.43 लाख

वर्ष 2007–08 में बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसमें सभी प्रकार के निर्माण कराने वाले केन्द्र व राज्य सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्रों में दस लाख से अधिक लागत से निर्माण होने वाले व्यक्तिगत भवन, अपार्टमेंट पर कुल लागत राशि का एक प्रतिशत राशि सेस के रूप में काटकर निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यो के संचालन हेतु कल्याण बोर्ड में जमा करना था।

परन्तु आरा नगर निगम द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं कर श्रम उपकर की कटौती नही की गयी। संबंधित विवरण निम्नलिखित है:–

क0सं0	मद	वर्ष	योजना सं0	संवेदक को किया गया कुल भुगतान	सेस की राशि का 1 प्रतिशत
1	बी.अर.जी.एफ.	2011–2012	9/अभि0 2011	21569722	215697
2	पथ निर्माण एवं जीर्णोद्धार	2011–12	8/अभि0 2010	28642655	286427
3	पोखर घाट निर्माण		06/अभि0 –2010	14097016	140970
	कुल				**643094**

अतः श्रम उपकर की राशि ₹**643094.00** संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूल कर कल्याण बोर्ड को भेजी जाय।

16. राजस्व के स्रोत

(i) कम/नही जमा/अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी राशि

करों से संबंधित दैनिक वसूली पंजी एवं रोकड़पाल रोकड़बही के जॉच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि कुछ कर संग्राहकों द्वारा वसुली गई राशि को कम जमा किया गया था। अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंकेक्षण के दौरान नगर निगम निधि में जमा की गई राजस्व की विवरणी निम्न प्रकार है:–

(क)

क्र.सं.	दिनांक	रसीद सं.	कर संग्राहक	कम जमा की गई राशि
1	30.7.2011	8260 विविध रसीद	श्री राजू कुमार	87
2	2.8.2011	8287 विविध रसीद	श्री राजू कुमार	173
3	3.1.2012	9900 विविध रसीद	श्री राजू कुमार	51
4	12.10.2011	डी.सी.आर-CCB	श्री राजूकुमार	200
		कुल		511

उक्त राशि अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में एम0आर0 सं015020/8.12.2012 से नगर निगम कोष में लेखापरीक्षा के दौरान जमा किया गया लेकिन इसके बैंक खाते में जमा को लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

(ख) गृह कर

क्र.सं.	दिनांक	रसीद सं.	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	कम जमा की गई राशि
1	23.1.2012	33548–33558	7169	7069	100
2	23.3.2012	35919–35922	4611	4411	200
	कुल				300

उक्त राशि संबंधित रोकड़पाल द्वारा नगर निगम कोष में एम.आर.सं. 15021/8.12.2012 लेखापरीक्षा के दौरान जमा कर दिया गया लेकिन इसके बैंक खाते में जमा को लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

(ii) टिन टिकट

नगर निगम द्वारा रिक्शा, साईकिल, बैलगाड़ी, टमटम के निबंधन शुल्क के रूप में निर्धारित दर से राशि की वसूली की गई, इसके लिए टिन–टिकट का क्रय किया गया जिसे भंडार पंजी के पृष्ठ संख्या–279 पर दर्ज किया गया। टिन–टिकट के क्रय–विक्रय एवं अवशेष का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	टिन टिकट का प्रकार	क्रय की कुल संख्या	विक्रय की संख्या	टिन टिकट की शेष सं0	लागत दर	शेष का लागत मूल्य
1	रिक्शा	3000	1805	1195	8.50	10158
2	साईकिल	3000	2220	780	3.50	2730
3	टमटम	200	83	117	8.50	995
4	बैलगाड़ी	10	6	4	8.50	34
5	टाईर गाड़ी	15	7	8	8.50	68
	कुल					**13985**

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट प्रतीत होती है कि टिन–टिकट के संबंध में बिक्री अनुमान सही नहीं लगाया जाता है या टिन–टिकट की विक्रय के प्रति जन जागरूकता हेतु प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक निर्देश नहीं दिया गया। फलस्वरूप **₹13985/– के लागत मूल्य के टिन टिकट का उपयोग नहीं किया जा सका। अगले लेखापरीक्षा में उत्तर प्रस्तुत करें।**

(iii) बकाया भयावह एवं खतरनाक व्यवसाय ₹5.67 लाख

आरा नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़े के अनुसार खतरनाक व्यवसाय से संबंधित 31.3.2012 को कुल राशि ₹566600/– विभिन्न व्यवसायियों के यहॉ बकाया था।

अतः बकाया राशि की वसूली हेतु प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कदम उठाया जाए ताकि नगर निगम कोष को राजस्व मद में वृद्धि किया जा सके।

(परिशिष्ट–V)

(iv) बकाया दूकान किराया की वसूली नही होना ₹13.83 लाख

नगर निगम आरा द्वारा दुकानों से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया था। निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी मॉग एवं वसूली विवरणी के अनुसार 31.3.2012 तक कुल राशि ₹1382736/ दुकान किराया बकाया था।

अतः बकाया किराया की वसूली के लिए प्रभावकारी कदम उठाया जाए ताकि नगर निगम कोष में वृद्धि कर स्वय के स्त्रोत से विकासपरक योजनाओं को कियान्वित किया जा सके।

(परिशिष्ट–VI)

17. दूकानों के आवंटन में अनियमितता

आरा नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराई गयी अर्द्ध संधारित मॉग पंजी के जॉच के क्रम में पाया गया कि निगम के 15 विभिन्न स्थानों पर कुल 818 दूकानें अवस्थित थीं। दुकानों संबंधित संचिकाओं को मॉगे जाने पर केवल दूकान आंवंटन पत्र की संचिका ही उपलब्ध करायी गयी जिसमें कई अनियमितताएँ पायी गयीः–

- 15 में से मात्र 4 स्थानों यथा बस पड़ाव के बाहर, बस पडाव के अन्दर, सदर अस्पताल तथा प्रखण्ड कार्यालय में अवस्थित कुल 192 दूकानों में से मात्र 128 दूकानों का आवंटन पत्र ही सम्बन्धित संचिका में पाया गया। शेष 64 दूकानों का आवंटन पत्र संचिकाओं में उपलब्ध नहीं था।
- लेखापरीक्षा में प्रस्तुत मॉग पंजी एवं आवंटन पत्र संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दूकान आंवटन के समय जिन व्यक्तियों को दूकान आवंटित किया गया था अब उनके बदले अन्य व्यक्तियों के नाम से दूकान किराया वसूला जा रहा था। विवरणी निम्न प्रकार हैः–

(117)

क.सं.	स्थान का नाम	दूकान सं0	मूल लाभार्थी का नाम	व्यक्ति का नाम जिसमें वर्तमान में किराया वसूला जा रहा है
1	बस पड़ाव के बाहर	52	श्री ओमनाथ पाण्डेय	श्रीमती सुनीता पाण्डेय
2	बस पड़ाव के बाहर	55	श्री सुशील कुमार साह	श्री सरोज कुमार
3	बस पड़ाव के अन्दर	46	श्री बिजय कुमार यादव	श्री ओमप्रकाश सिंह
4	बस पड़ाव के अन्दर	53	श्री गुड्डू मिस्त्री	श्री विश्वनाथ कुमार
5	बस पड़ाव के अन्दर	82	श्री नागेन्द्र प्रसाद	श्री कन्हैया प्रसाद
6	बस पड़ाव के अन्दर	83	श्री नंदकुमार सिंह	श्रीमती सुनीता देवी
7	सदर अस्पताल	3	श्री अमर जी वर्मा	श्री बिनोद कुमार गुप्ता
8	सदर अस्पताल	5	श्री शशिकान्तप्रसाद श्रीवास्तव	श्री परशुराम सिंह
9	सदर अस्पताल	6	श्री ललित कुमार	श्रीमती मंजू देवी
10	सदर अस्पताल	10	श्री सरोज श्रीवास्तव	श्री संजय प्रसाद
11	सदर अस्पताल	11	श्री अरविन्द शर्मा	श्री पन्ना लाल
12	सदर अस्पताल	23	श्री श्याम किशोर सिन्हा	श्री जितेन्द्र सिंह
13	सदर अस्पताल	24	श्री नफीस अहमद	श्री कृष्ण कुमार सिंह
14	सदर अस्पताल	25	श्री शालिनी	श्री पुष्पा सिंह
15	सदर अस्पताल	26	श्री शशिकान्त पाण्डेय	श्री कृष्णा कुमार
16	सदर अस्पताल	28	श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	श्री उपेन्द्र कुमार
17	सदर अस्पताल	29	श्री कुँवर यादव	श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
18	प्रखण्ड कार्यालय	4	श्री सूरत कुमार गुप्ता	श्री अरविन्द कुमार सिंह
19	प्रखण्ड कार्यालय	9	श्री चन्द्र प्रकाश सिंह	श्री विजय कमार सिंह
20	प्रखण्ड कार्यालय	11	श्री विन्ध्याचल कुमार राम	श्री रातेश कुमार राय
21	प्रखण्ड कार्यालय	12	श्री चकेश कुन्तल	श्री सोहन कुमार रवि
22	प्रखण्ड कार्यालय	13	श्री तारा सिन्हा	श्री मुकेश कुमार सिन्हा

- आवंटन पत्र के शर्तानुसार जिस व्यक्ति को आवंटन मिला था उसे आवंटन पत्र निर्गत किए जाने के छः महीने के अन्दर निगम के साथ एकरारनामा करना था। एकरारनामा नहीं किए जाने की स्थिति में आवंटन अनियमित माना जाना था। परन्तु किसी भी दूकान प्राप्तकर्ता के साथ निगम द्वारा कोई भी एकरारनामा नहीं किया गया और न ही दूकानों का आवंटन अनियमित घोषित किया गया।

प्रस्तुत आवंटन पत्रों में (बस पड़ाव के अन्दर के दूकिानों को छोड़कर) किराया बढ़ोतरी संबंधी कोई प्रावधान भी नहीं किया गया था।

- सभी दूकानों के मासिक किराये में से प्राप्तकर्ताओं के द्वारा निर्माण के समय जमा की गयी राशि का कुछ हिस्सा समायोजित किया जा रहा है परन्तु मॉग पंजी, आवंटन पत्र में कहीं भी यह दर्ज नही था कि किस दूकानदार ने निर्माण के समय कितना रूपया जमा किया था तथा उसके द्वारा जमा की गयी राशि का समायोजन कब पूर्ण होगा ? उक्त सूचनाओं के अभाव से अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- अन्य 11 स्थानों पर अवस्थित दूकानों की संचिका लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त संचिकाओं को अगले लेखापरीक्षा में उपलबध करायें।

उपरोक्त के संबंध में निगम द्वारा उत्तर नहीं दिया गया। अतः निगम अधिकारियों को सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त मामले की जॉच करायी जाये तथा फलाफल से लेखापरीक्षा, कार्यालय को सूचित किया जाय।

18. (क) दुकान किरायों की वृद्धि नहीं करने से हानि

निगम द्वारा प्रदत्त बस पड़ाव के अन्दर दुकानों के आवंटन पत्र संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आवंटन पत्र की शर्त संख्या–3 के अनुसार प्रत्येक 3 वर्षों के पश्चात् दुकान किराए में वृद्वि करनी थी, परन्तु संचिका के अवलोकन में यह ज्ञात हुआ, कि निगम द्वारा दूकान की मासिक किराये में वृद्धि नहीं किया गया था जिसके कारण निगम को राशि ₹129927 की हानि हुई। विवरणी निम्न प्रकार हैः–

- प्रस्तुत मॉग पंजी के अनुसार बस पडाव के अन्दर कुल 85 दूकान अवस्थित थे जबकि उपलब्ध कराये गये आवंटन पत्र संचिका में मात्र 60 दूकानों का आवंटन पत्र पाया गया। शेष 25 दूकानों का आवंटन पत्र नहीं पाया गया जिसके कारण यह पता नहीं लगाया जा सका उक्त दूकानों के किराया वृद्धि सम्बन्धी क्या प्रावधान थे
- दूकान किरायो में वृद्धि नहीं किए जाने के कारण 60 दूकानों पर हुई राशि ₹129927 (69552+60375) की हानि सम्बन्धित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलकर निगम कोष में जमा कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना को सूचित करें। किराया वृद्धि हेतु उठाये गये कदम से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। अन्य दुकानों की वास्तविक स्थिति को भी इसी संदर्भ में जॉच की जाए।

परिशिष्टVI (क)

(ख) **विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं करने के कारण राजस्व की हानि**

नगर निगम के बाजार से संबंधित रसीदों के नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि तीन महीनों तक दूकान किराया नहीं जमा करने पर निगम द्वारा उन दूकानदारों से 12 प्रतिशत विलम्ब शुल्क सहित दूकान किराया वसूली नहीं की गयी थी जिससे निगम को राशि ₹44637/– की हानि हुई।

(परिशिष्टि-VII)

उक्त हानि की राशि 44637/– की वसूली संबंधित दूकानदारों/जिम्मेदार प्राधिकारी से वसूल किया जाए तथा निगम कोष में जमा कर जमा की वास्तविक स्थिति से स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा को अवगत करवाया जाए।

19. संचार (मोबाईल) टावरों का अपंजीकृत रहना एवं राशि 17.52 लाख का बकाया

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करो के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम–6 (1) के अनुसार नगर निगम में पंजीकरण शुल्क राशि–50,000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क राशि–15,000.00 प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 6 (2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों को उपवर्गित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो के आधार पर किया जायेगा।

नगर निगम कार्यालय द्वारा उपलब्ध सूचना विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2011–12 तक 5 कम्पनियों के 31 मोबाईल टावरों के विरूद्ध उक्त अध्यादेश के आलोक में कुल राशि 1752250/– बकाया था जिसका विवरणी निम्नलिखित है:–

कमांक	कम्पनी का नाम	कुल सं.	बकाया राशि
1	आदित्य बिरला टेलिक्स लि0	12	736000.00
2	डिसनेर वायरलेस लि0 एयरटेल	3	231250.00
3	भारती टेल भीजर्स लिमिटेड	3	228750.00
4	टाटा टेलीकॉम सर्विसेज	4	361250.00

5	वायरलेस टी0टी0 इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	9	195000
	कुल	**31**	**1752250**

अतः बकाये की कुल राशि 1752250.00 की वसूली संबंधित कम्पनियों से किया जाए एवं वसूली की वास्तविक स्थिति से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(परिशिष्ट– VIII)

20. संपत्ति ब्यौरा

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की गई सम्पति ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

क्रमां0	**सम्पत्ति का प्रकार**	**विवरणी**	**अभियुक्ति**
क	आरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी मार्केट का ब्यौरा	819	राजस्व की प्राप्ति हो रही है।
ख	आरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सिंगही बलिहार ट्रेचिंग ग्राउण्ड मैल गड़हा	6 बिगहा 18 कटठा 2 धुर	इस जमीन के संबंध में राजस्व/अन्य प्रयोजन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुतत नहीं किया गया। जिससे यह ज्ञात नही किया जा सका कि निगम के कब्जे में है या नहीं अथवा राजस्व की प्राप्ति हो रही है या नहीं।
ग	आरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मीरगंज मुहल्ला स्थित पदाधिकारी आवास का विवरणी	02	
घ	आरा नगर निगम के स्वच्छता शाखा से संबंधित सम्पति एवं सूचना	159	जे0सी0बी0एक्सावेटर, फॉगिंग मशीन सेट एवं सेक्शन मशीन सेट जैसे यांत्रिक वाहनों जिससे राजस्व प्राप्ति की जाती है से संबंधित संचिका अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया।

(परिशिष्ट–IX)

21 दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय ₹8.32 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं0–4 न से 1.1012/87–1231/न.वि.वि.दिनांक 06.05.1992 4/7–1–80/79–288 दिनांक 3.02.81 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगाई गई है।

परन्तु लेखा परीक्षा में उपलब्ध रोकड़बही के अनुसार नगर निगम आरा में वर्ष–2011–12 के दौरान ₹832110/ दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया जो कि सरकार के निर्देशो के विरूद्ध एवं अप्राधिकृत था।

अतः दैनिक मजदूरी पर किये गये व्यय की सरकार से मंजूरी ली जाय। सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने तक व्यय की राशि ₹ 832110/– लेखा परीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

(परिशिष्ट–X)

22 सैरातों की बन्दोबस्ती

क नगर निगम आरा द्वारा सैरात पंजी का संधारण नहीं किया गया था। जिसके कारण निगम के पास कितने सैरात थे इसकी सही संख्या ज्ञात नहीं की जा सकी। प्रस्तुत 28 संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में 21 सैरातों की बन्दोबस्ती की गयी जिनका विस्तृत विवरणी संख्या परिशिष्ट–XI पर दिया गया है:–

- किसी भी बन्दोबस्तधारी के साथ एकरारनामा नहीं किया गया था
- बन्दोबस्ती की राशि के 3 प्रतिशत के बराबर मूल्य के स्टाम्प शुल्क पर एकरारनामा नहीं किए जाने के कारण राज्य सरकार को सम्बन्धित शीर्ष में राशि 295460 की हानि हुई जिसकी वसूली सम्बन्धित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से कर सम्बन्धित कोष में जमा करें।
- बन्दोबस्तधारिया से बन्दोबस्ती की पूर्ण राशि नहीं वसूले जाने के कारण निगम को ₹1134431.00 की हानि हुई जिसकी वसूली सम्बन्धित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से कर निगम कोष में जमा किया जाय तथा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

22(ख) नगर एवं अपर नगर आयुक्तों के वेतन पर व्यय

वित्तीय वर्ष 2011–12 में नगर आयुक्तों एवं अपर नगर आयुक्तों के वेतन पर राशि ₹1549551/– व्यय किया गया। नगर आयुक्तों एवं अपर नगर आयुक्तों की पदस्थापना अधिसूचना सं001/स्था0/ न0वि0वि 01/2007–4296/न0वि0 एवं आ0वि0 के अनुसार नगर निगमों में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारयों के वेतन एवं भत्ते मद में व्यय का वहन राज्य सरकार करेगी।

(परिशिष्ट–XI (क))

परन्तु पदाधिकारियो के वेतन के रूप में निगम कोष से किए गये भुगतान के समायोजन के लिए सरकार से किए गये पत्राचार से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। अतः नगर आयुक्तों एवं अपर नगर आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते की राशि हेतु राज्स सरकार से पत्राचार किया जाय।

23 वकील को भुगतान

लेखापाल रोकडबही के जॉच के के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री संतोष कुमार को निगम की ओर से मुकदमों में भाग लेने के लिए कुल राशि 196500/– का भुगतान किया गया था।

(परिशिष्ट– XII)

उक्त व्यय से संबंधित सूट रजिस्टर, संचिकाएँ अधिवक्ताओं की सूची, एकरारनामा लेखापरीक्षा में मॉगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे कृत व्यय की प्रमाणिकता की जॉच नहीं किया जा सका।

अतः उपरोक्त संचिकाएँ एवं अभिलेख अगले लेखापरीक्षा में उपलबध करायें तबतक राशि ₹196500/– को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

24 राज्य योजना एव बी.आर.जी.एफ. के अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा नही किये जाने के कारण विलम्बता की शास्ति राशि–₹611277/–

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना संचिकाओं के नमूना जाँच के अनुसार यह मामला प्रकाश में आया कि संवेदक द्वारा एकरारनामा की शर्ते के अनुसार निर्धारित समय में क्रियान्वित योजनाओं को पूर्ण नही किया गया था

अतः लोक निर्माण विभाग की (Schedule XLV From No-61(From F-2) संवेदक की शर्ते Clause-2 के अनुसार कार्य को निर्धारित समय में पूरा नही किये जाने पर प्रतिदिन 1/2 प्रतिशत की दर से अधिकतम प्राक्कलन के 10% विलम्बता वसूलने का प्रावधान है।

(परिशिष्ट– XIII)

उक्त शर्ते के आलोक में संवेदक से राशि–611277 की कटौती नहीं की गयी। अतः₹611277/– की वसूली संबधित व्यक्तियों से किया जाय तथा अन्य क्रियान्वित योजनाओं में समरूप शास्ति की गणना अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय।

25. "बिल्डिंग वाय लॉ" के विरूद्ध नक्शा निर्गत किया जाना

आरा नगर निगम के पत्रांक–1303 दिनांक 4 मई 2011 के आलोक में पूर्व के आर्किटेक्चर श्री राकेश रंजन का निबंधन रद्द करते हुए श्रीमती निशी जैन का नया अनुबंध प्रदान किया गया था।

श्रीमती निशी जैन, आर्किटेक्टर द्वारा वर्ष 2011–2012 के दौरान आवासीय, वाणिज्यिक दो प्रकार के नक्शे को :निरीक्षणोंपरान्त अनुमोदित किया गया तथा निर्धारित मानक दर के अनुसार निगम कोष में जमा किया गया। विवरणी निम्न प्रकार है:–

क0सं0	नक्शा पंजी की क0सं0	कुल पास किया गया नक्शों की संख्या	नक्शा के प्रकार		राशि	अभ्युक्ति
			आवासीय	कॉमर्शियल		
1	292 से 953	663	643	20	1038603	शैक्षणिक,एसैम्बली एवं इन्सटीच्यूशनल बिल्डिंग से संबंधित नक्शा विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया।

नक्शा संचिका के अवलोकन के अनुसार निर्धारित मानक के विपरीत नक्शा को पारित किया गया था। विवरण निम्न प्रकार है:–

क0सं0	नक्शा धारक के नाम	प्लॉट की कुल क्षे0	बिल्डिंग वॉय लॉ के अनुसार न्यूनतम लोकमार्ग की कुल चौड़ाई	पारित नक्शा की लोक मार्ग की कुल चौड़ाई	अभ्युक्ति
1	श्री प्रमोद कुमार सिंह	60.34 वर्गमीटर	6 मीटर चौड़ा	3.03 वर्गमीटर	पारित पत्र सं0 एम. एम0टी0 / 0284 / 22.10.11
2	श्रीमति कमलावती देवी	63.64 वर्गमीटर		1.82 वर्ग मीटर	–तथैव–

3	श्री चंदन कुमार एवं कुंदन कुमार	155.73 वर्गमीटर		3.03 वर्ग मीटर	–तथैव–
4	श्रीमति रंजीता देवी	63.52 वर्गमीटर		2.43 वर्गमीटर	एम0एम0टी0/0248 दिनांक 3.10.2011

लेखापरीक्षा आपत्ति

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा–235 के अनुसार इस अध्याय के अधीन एसे बनाये गये घोषित किये गये किसी नये लोकमार्ग में कारणों को अभिलेखित करते हुए वर्ग–ग नगरपालिका क्षेत्र या अंतवर्ती क्षेत्र की चौड़ाई पगडण्डी सहित दस मीटर से कम नहीं होगा। परन्तु यह कि लिखित रूप की दशा में नगरपालिका द्वारा कम की जा सकती है। परन्तु किसी भी स्थिति में चौडाई 6 मीटर से कम नहीं होगा।

परंतु उक्त मार्गदर्शिका के विपरती श्रीमती निशि जैन आर्किटेक्टर के द्वारा नक्शा पारित किया गया था। लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में यह बताया गया कि आरा नगर निगम, बिहार का बहुत पुराना शहर है जिसमें बिहार सरकार द्वारा केाई भी मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया है और ना ही निर्माणकर्ता को नगर निगम द्वारा प्लानिंग रिपार्ट दिया जाता है। मास्टर प्लान अथवा प्लानिंग रिपोर्ट के बगैर यह निश्चित करना नामुमकिन होगा कि कौन सी सड़क कितनी चौड़ी है और सड़क कितनी चौड़ी है और सड़क ने क्या निर्धारित किया है।

अनुपालन प्रतिवेदन तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में बिल्डिंग वॉय लॉ" में किसी खास शहर/कस्बा का वर्गीकरण नहीं किया गया है। बल्कि उक्त अधिनियम पूरे बिहार के सभी शहरों में सामान रूप से लागू होती है।

अतः बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–2359/न0वि0 एवं आवास विभाग दिनांक 22.6. 2009 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

26 गैर सरकारी संस्था को भुगतान

अंकेक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि आरा नगर निगम में अंकेक्षण अवधि के दौरा चार स्वयंसेवी गैर सरकारी संस्था को कूड़ा उठाने के कार्य के लिए प्राधिकृत किया गया। इस कार्य के लिए कुल राशि ₹509200/– भुगतान किया गया। विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	संस्था का नाम	राशि(₹)
1	स्व0 पराशर मुनी सेवा संस्थान	80400.00
2	शिखर सेवा संस्थान	134000.00
3	महिला स्वावलम्बन केन्द्र	1608000.00
4	दिशा –एक प्रयास	134000.00
	कुल	**509200.00**

➢ संचिका के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि 1. शिखर सेवा संस्थान 2. महिला स्वावलम्बन केन्द्र 3. दिशा एक प्रयास के साथ नगर निगम के द्वारा दिनांक 1.8.2009 से 31.7.2010 तक का एकरारनामा किया गया था। परन्तु एकरारनामा के पुनरीक्षण किये बिना कृत कार्य के लिए भुगतान किया गया हैं। लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वैध एकरारनामा प्रस्तुत किये जाने तक व्यय की गई कुल राशि 428800/– लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

27 (क) अधिक भुगतान राशि ₹

पथ निर्माण मद के रोकड़ बही एवं योजना पंजी के मिलान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि कार्यावंटन ओदश की राशि से अधिक भुगतान संवेदक को किया गया थां विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क0 सं0	संचिका सं0	संवेदक	प्रा0 राशि	कार्यावंटन की राशि	भुगतेय राशि		अन्तर की राशि
					चेक सं0	तिथि राशि	
1	18/अभि0/ 2009 ग्रूप सं018	श्री भीम सिंह	352773	352773	101777/25.05.10, 294664 98400/3.09.11, 29511 983966/22.07.11, 21745 SD+ IT+ Roy+ST=42373 कुल 388293		35520
2	21/अभि0/ 09 ग्रुप सं021	श्री अशोक कु0 चौबे	96924	96924	101779/25.05.10, 83772 SD+ IT+ Roy+ST= 14088 97860		936
3	48/अभि0/ 09 गूप सं0 49	श्री अमीत कु0	523600	471240	101750/19.04.10, 405965 03609/12.09.11, 327030 732995		261755

अतः अधिक भुगतान की राशि ₹298211/– की वसूली संबंधित संवेदक से किया जाए तथा तर्कसंगत एवं साक्ष्यगत कराणों से लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाए

27(ख) प्राक्कलन का अनियमित पुनरीक्षण

कार्य के नामः– न्यू पुलिस लाईन परिसर में तालाब और बगीचे के सौन्दर्यीकरण कार्य।

प्राक्कलित राशि ₹2024593.00

संशोधित प्रा0 की राशि ₹4484000.00

निविदा सं0 6/अभि0/2009

कार्यादेशः 16.04.2010

कार्य पूर्णता की अवधिः कार्यादेश की तिथि से छःमाह

संवेदकः श्री संजय कुमार

भुगतान की गई कुल राशि ₹1574678

(ii) सु0 जमा+ आयकर +वाणि0+ रॉयल्टीः 221628

कुलः 1796306.00

संवेदक विपत्र

(i) Ist R/A/c Bill 691613.00

अन्य : अनुपलब्ध

लेखापरीक्षा आपत्ति

संचिका/अभिलेख के नमूना जॉच के अनुसार निम्न मामले प्रकाश में आयेः–

(i) अनियमित कार्यादेश/प्राक्कलन पुनरीक्षण

प्रभात खबर के अंक दिनांक 12.12.09 को प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना सं0 6/आरा/2009 के अनुसार ग्रुप सं0 17 के लिए ₹2024593.00 की निविदा प्रकाशित की गयी थी।

निविदा के उपरान्त दिनांक 10.04.10 को कार्य न्यूनतम निविदादाता श्री संजय कुमार को प्राक्कलित राशि से 10% कम अर्थात ₹1822134.00 पर आवंटित किया गया। तदुपरान्त दिनांक 19.04.2012 को कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹4484000.00 का तैयार किया गया एवं टिप्पणी की गयी कि पुनरीक्षित प्राक्कलन वार्ड पार्षद एवं तत्कालीन नगर आयुक्त के आदेशानुसार तैयार किया गया है। मूल प्राक्कलन में दो तरफ से पोखरा धाट का निर्माण करना था। परन्तु संवेदक द्वारा इसके साथ–साथ शेष दो तरफ ईट सोलिंग का कार्य करा दिया गया है अतः पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है।

पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकि स्वीकृति CME द्वारा दिनांक 20.07.2012 को प्रदान की गयी, जबकि प्रशासनिक स्वीकृति का साक्ष्य नही पाया गया।

संवेदक द्वारा प्राक्कलन से अधिक कार्या करने के पश्चात प्राक्कलन का पुनरीक्षण किया जाना अनियमित था।

(ii) अप्रस्तुत संवेदक विपत्र राशि ₹11.40 लाख

संचिका अवलोकन के अनुसार वास्तविक भुगतान के प्रति मात्र राशि ₹691693.00 (ISt R/Ac Bill) का Contractor Bill प्रस्तुत किया गया।

अतः शेष विपत्र राशि ₹1104693.00 एवं M.B अंकेक्षण आपत्ति के बावजूद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था। वास्तविक एवं तथ्यगत कारण प्रस्तुत किये जाने तक उक्त राशि ₹1104693.00 लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है

28. डीलक्स शौचालय

डीलक्स शौचालय अभिलेख सं0–.13/2012 संचिका की संवीक्षा के अनुसार निम्न मामले प्रकाश में आये

- निविदा आमंत्रण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संचिका में नहीं पाया गया।
- पत्र सं. शून्य दिनांक 25.1.2012 द्वारा शिवम् जन स्वास्थ्य एवं सर्वागिण विकास केन्द्र बोरिंग रोड, पटना–13 ने नगर निगम आरा को आग्रह किया कि वह जीर्ण–शीर्ण अवस्था में बेकार पड़े शौचालयों को डीलक्स शौचालय में परिवर्तित करना चाहता हूँ। साथ ही साथ उसका देखभाल 30 वर्षों तक के लिए करूँगा।
- उक्त पत्र के आलोक में दिनांक 31.1.2012 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में विचार–विमर्श के बाद प्रस्ताव पारित किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की बढोतरी का प्रावधान करते हुए एकरारनामा किया जाए। तद्नुसार एकरारनामा किया गया एवं सुरक्षित जमा की राशि 45000/– एम.आर.नं. 12681/2.5.2012 द्वारा नगर निगम कोष में जमा किया गया।

(1) शिवम् जन स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक विकास केन्द्र, बोरिंग रोड, पटना–13 को किस आधार पर पता चला कि आरा नगर निगम में शौचालय जर्जर अवस्था में है। तथा निगम उसे डिलक्स शौचालय में परिवर्तित करना चाहता है जबकि कोई निविदा विज्ञापन के माध्यम से नहीं निकाली गयी थी।

अतः यह एक जाँच का विषय है कि बाहरी संस्था को किस माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है।

(2) दैनिक समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित करने पर प्रतिस्पर्धात्मक दर के प्राप्ति से आय में वृद्धि की संभावना थी।

29. रेम्की गैर सरकारी संगठन

रेम्की गैर सरकारी संगठन के अभिलेख के नमूना जॉच के अनुसार निम्न मामले प्रकाश में आयेः–

- रेम्की ने आरा नगर निगम के विभिन्न वार्डों का सफाई कार्य दिनांक 26.10.2011 से करना शुरू किया
- श्री राकेश कुमार, कनीय अभियंता, आरा नगर निगम को ज्ञापांक सं.7376/29.10.2011 के द्वारा यह आदेश दिया गया कि उपयोग कि जा रहे तौल मशीन का निरीक्षण करें एवं तौले गए 'कूड़े' का प्रतिवेदन आरा नगर निगम को उपलब्ध कराये।
- रेम्की को बहियारा हाता में कूड़ा डम्पिंग करना था जो शहर से 9 किमी दूर है। परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि कूड़ा शहर से 2 किमी की दूरी पर डम्पिंग किया जा रहा था। (ज्ञापांक–3223 दिनांक 18.06.2012 एवं 7530 दिनांक 16.11.2012) विदित हो कि इस कार्य के लिए DPR समन्वयक रेम्की संस्था द्वारा ही तैयार किया गया था, (पत्र सं0–7530 दिनांक–16/11/2011)
- आरा नगर निगम द्वारा यह बार–बार रेम्की संस्था को बताया जा रहा था कि आरा के द्वारा सफाई कार्य संतोष जनक नहीं है। (पत्रांक–711 दिनांक 4.3.2012, 7414 दिनांक 9.11.2011)
- पत्रांक–2326 दिनांक 21.9.2012 के अवलोकन से यह साफ पता चलता है कि रेम्की संस्था द्वारा अपना **'तौल मशीन'** नहीं लगाया गया है।
- रेम्की संस्था द्वारा 26.10.2011 से 31.3.2012 तक निम्नलिखित बिल समर्पित किया गया। विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	माह	कूड़े की मात्रा (मैट्रिक टन)	निर्धारित दर	राशि
1	अक्टूबर, 2011	459.630	657	301976.91
2	नवम्बर, 2011	2455.653	–तथैव–	1613364.02
3	दिसम्बर, 2011	3503.9	–तथैव–	2302062.30
4	जनवरी, 2012	3923.150	–तथैव–	2577509.55
5	फरवरी, 2012	3734.790	–तथैव–	2453757.03
6	मार्च, 2012	3221.928	–तथैव–	2116806.96

105

उक्त आदेश के आलोक में श्री राकेश कुमार ने दिसम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 में समर्पितत बिपत्र को घटाकर राशि कम की गयी थी। विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	महीना	समर्पित विपत्र में कूडे की मात्रा	राशि	श्री राकेश कुमार द्वारा निर्धारित मात्रा	राशि	अन्तर राशि
1	दिसम्बर 2011	3503.9	2302062.30	3420.12	1605022	697040.30
2	जनवरी 2012	3923.150	2577509.55	3825.03	1795048.00	782461.55
	कुल		4879571.85		3400070.00	1479501.85

उक्त राशि की काटौती के संबंध में श्री राकेश कुमार द्वारा न तो बताया गया और न ही कार्यालय द्वारा श्री राकेश से पूछा गया कि राशि क्यों घटायी गयी। परन्तु चूंकि श्री राकेश को यह स्पष्ट आदश प्राप्त था कि आप विपत्रपर अपना मंतव्य देगें तथा उन्हे इसी कार्य के लिए ही लगाया गया थां।

उक्त कूड़ा डम्पिंग प्रक्रिया से यह प्रतीत होता है कि राशि ₹1479502.00 का गलत भुगतान किया गया

पत्र सं0 SPUR-PMU/070/FA/2012-13/304 दिनांक 20.07.2012 द्वारा संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि रैम्की संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि रैम्की द्वारा समर्पित बिल में एकरारनामा के आधार पर ही कटौती की जाए, किसी और आधार पर नहीं।

- एकरारनाम की प्रति अंकेक्षण दल को उपलब्ध नही करवाया गया
- बहियारा हाता में कूड़ा का डम्पिंग कार्य नहीं किया जा रहा है तो इस माह के विपत्र में कटौती क्यों नहीं की गयी। इसका स्पष्ट कारण अंकेक्षण आपत्ति के बावजूद नहीं बताया गया।

अंकेक्षण आपत्ति

(1) एकरारनामा की विवेचना एकरारनामा के प्रति की अनुपलब्धता के कारण नहीं की जा सकी।

(2) राशि की कटौती का कोई स्पष्ट कारण न तो अंकेक्षण दल को बताया गया और न ही अभिलेख में कही उल्लिखित था।

अतः रेम्की संस्था को किए गए भुगतानों की विभागीय जॉच करायी जाए एवं फलाफल से लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

30. योजनाओं की भौतिक स्थितिः–

आरा नगर निगम के अन्तर्गत कियान्वित योजनाओं के प्रस्तुत ऑकड़ों के अनुसार मदवार विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्रमां0	मद का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं में अग्रिम की राशि
1	पथ निर्माण एवं जीर्णोद्धार मद	51	49	2	508645.00
2	बी0आर0जी0एफ0	88	83	5	165348.00
3	पोखर घाट निर्माण/जीर्णोद्धार	13	09	04	11421412.10
	कुल	**152**	**141**	**11**	**12095405.10**

(विवरणी परिशिष्ट–XIV)

योजना विवरणी के अनुसार कुल 152 योजनाओं का कियान्वयन किया गया था जिसमें 141 योजनाओं की भौतिक स्थिति पूर्ण है जबकि 11योजनाओं की स्थिति अपूर्ण है जिसमें 4 योजनाओ का स्थगन भूमि विवाद या कार्यस्थल विवाद के कारण किया गया है।

अतः अपूर्ण योजनाओं को ससमय पूर्ण करवाया जाय अथवा अपूर्ण योजनाओं पर स्वीकृत अग्रिम राशि ₹12095405.10 का समायोजन/वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए।

31. अग्रिमः–

व्यक्तिगत निक्षेप खाता 2011–12 के अनुसार कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन के विरूद्ध अग्रिम को छोड़कर विभिन्न प्रयोजनों हेतु निम्नवत अग्रिम दिया गया थाः–

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	राशि	अवधि
1	इंडिया प्रसाद, चौकीदार	23000	मार्च 2006
2	देवनारायाण शरण, नाला कुली	1500	दिसम्बर 2007
3	श्रीमती शान्ति देवी, झाड़ूदार	1500	दिसम्बर 2007
4	राधिका देवी, झाड़ूदार	1500	दिसम्बर 2007
5	श्यामा देवी, झाड़ूदार	1500	दिसम्बर 2007
6	अर्जून राम, नाला कूली	1500	दिसम्बर 2007

7	परबतिया देवी, झाड़ूदार	1500	दिसम्बर 2007
8	भूवर राम, नाला कुली	1500	दिसम्बर 2007
9	रामेश्वरनाथ चौधरी, जमादार	1500	दिसम्बर 2007
10	चैती देवी, झाड़ूदार	1500	दिसम्बर 2007
11	मनराजो देवी, चपरासी	23500	जून 2009
12	सुरेश राम, डी.सी.	576	सितम्बर 2008
13	रामावती देवी, झाड़ूदार	1500	दिसम्बर 2007
14	अमरनाथ प्रसाद, स्थापना लिपिक	7000	जून 2008
15	तनवीर आलम, विधि लिपिक	3999	जून 2012
16	सुरेश प्रसाद सिन्हा	5000	अक्टूबर 2010
17	ललन राम मोहर कुली	3450	अप्रैल 2007
18	ददन सिंह	3537	सितम्बर 2010
19	लगड़ा राम	8286	अक्टूबर 2005
20	भगवान प्रसाद	94086	सितम्बर 2008
21	राकेश कुमार	4000	सितम्बर 2010
22	बासी अहमद	5000	मार्च 2007
23	धनेश्वरी देवी	5000	अप्रैल 2010
24	अशोक कुमार सिंह	12868	जनवरी 2011
25	कैलाश पाण्डेय, वार्ड जमादार	2910	जनवरी 2011
26	सुरेश प्रसाद सिन्हा, सहायक	1243137	जनवरी 2011
27	चन्द्रमा यादव जमादार	123436	ऑकड़ा अनुपलब्ध

28	अमरनाथ प्रसाद, सहायक	121497	ऑकड़ा अनुपलब्ध
29	रामाकान्त सिंह, सहायक	375471	ऑकड़ा अनुपलब्ध
30	कृष्ण कुमार सिंह, वार्ड जमादार	229623	ऑकड़ा अनुपलब्ध
31	जयनंदन सिंह, चौकीदार	8453	ऑकड़ा अनुपलब्ध
32	तनवीर आलम विधि लिपिक	50902	ऑकड़ा अनुपलब्ध
	कुल	2369731	

अतः उक्त अग्रिम की कुल राशि 2369731/– की वसूली सुनिश्चित किया जाए एवं यह भी स्पष्ट किया जाए कि प्रशासनिक स्तर पर अग्रिम समायोजन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी है एवं व वर्ष 2006 से लम्बित अग्रिम के समायोजन के लिए क्यों नहीं कार्यवाही की गयी थी। अग्रिम पंजी का विहित प्रपत्र में संधारण करते हुए उपर्युक्त अग्रिमों का समायोजन/वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाये जाय।

32. <u>कार्यपालक पदाधिकारी से वार्ता</u>

लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों के संबंध में समय–समय पर चर्चा की गई लेकिन उनके अवकाश पर रहने के कारण लेखापरीक्षा कार्य के समापन तिथि को न तो अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जा सका और न ही फाइनल वार्तालाप की जा सकी।

33. <u>अंकेक्षण का परिणामः–</u>

(क) लेखा परीक्षा के दौरान जमा कराई गई राशि... शून्य

(ख) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गई राशि ₹2562103.00

(ग) वसूली के लिए सुझायी गई राशि. ₹3157237.00

(घ) अधिभार प्रक्रिया द्वारा वसूली के लिऐ सुझायी गई राशि शून्य